

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में वर्चुअल रूप से जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा समस्या निस्तारण हेतु सम्बन्धित को मौके पर निर्देशित किया गया-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा आज दिनांक 09.09.2023 को पुलिस कार्यालय, महोबा में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व थानों के दिवसाधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअली जनसुनवाई की गई।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल रूप से जुड़े हुए अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



जनपदीय स्वाट व थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने गांजा तस्करी कर रहे 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 61 किलो अवैध गांजा, 01 बोलेरो व नकद रुपये बरामदा

जनपद पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही के क्रम में दिनांक 08.09.2023 को थाना श्रीनगर पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र व तालाश/वांछित अभियुक्त के सम्बन्ध में ग्राम सिजहरी के सामने सड़क पर आने जाने वाले वाहनो को सक्रियता से चेकिंग कर रहे थे। तत्समय जनपद पुलिस की स्वाट/सर्विलांस टीम भी उक्त स्थल पर आ गई तत्पश्चात संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के सम्बन्ध में आपस में वार्ता करने लगे। संयुक्त पुलिस टीम को मुखविर द्वारा बताया गया कि 01 अदद चार पहिया (महिन्द्रा बोलेरो) में 04 व्यक्ति है जो नाजायज गांजा को लेकर कहीं बेचने जा रहे है। प्राप्त सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा वहीं पर वाहन चेकिंग शुरू कर दी गयी तो कुछ समय बाद महिन्द्रा बोलोरो रजिस्ट्रेशन नंबर **MP20CE0608** आती हुई दिखाई दी जिसको हाथ देकर रुकने का इशारा किया तो चालक द्वारा पुलिस चेकिंग से लगभग 50 मीटर पहले बोलोरो को रोककर मोडकर भागना चाहा जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये अभियुक्तों को मौके से पकड़ लिया गया। महिन्द्रा बोलोरो को सड़क के किनारे खड़ी कराकर उसमे बैठे सभी चारों लोगो को उतारकर कड़ाई से पूछताछ की गयी तो पकड़े गये व्यक्तियों ने अपना नाम बारी-बारी से क्रमशः 1.पवन कुशवाहा पुत्र खेमचन्द्र उम्र करीब 27 वर्ष 2. कन्धीलाल कुशवाहा पुत्र परशुराम कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष 3.पुष्पेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव उम्र करीब 26 वर्ष 4.पवन कुशवाहा पुत्र लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष बताया गया। जिनको नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद उपरोक्त बोलेरो वाहन की तलाशी ली गयी तो दो प्लास्टिक की बोरी में क्रमशः 30-30 पैकेट कुल 60 पैकेट सूखा गांजा बादामी रंग की प्लास्टिक की टेप मे लिप्टा हुआ बरामद हुआ। जिसका कुल वजन 61 किलो 900 ग्राम हुआ इस प्रकार गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 61 किलोग्राम नाजायज गांजा, एक अदद चार पहिया (महिन्द्रा बोलेरो), 04 अदद मोबाइल फोन व 1000 रुपये नकद बरामद किये गये अभियुक्तों को नियमानुसार गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनका गांजा तस्करी का एक गैंग है। जो अन्य प्रान्तों/जनपदों से मादक पदार्थ गांजा 12 से 15 हजार प्रति में खरीदते हैं, जिसको जनपद में व अन्य जनपदों में 20 से 25 हजार रूपये के मोटे दामों में बेचते है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसे अलग अलग लोगों को तथा वे स्वयं भी पुडिया बनाकर इसे 100रु0 से 150रु0 प्रति पुडिया बेचकर धन कमाते हैं।

### **विवरण बरामदगी:-**

- 61 किलोग्राम नाजायज गांजा
- एक अदद चार पहिया वाहन (महिन्द्रा बोलेरो)
- 04 अदद मोबाइल फोन
- नगद 1,000/- रुपये

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

सम्बन्धित मु0अ0सं0 173/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट तथा 419/420 भादवि थाना श्रीनगर महोबा।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

- 1.पवन कुशवाहा पुत्र खेमचन्द्र उम्र करीब 27 वर्ष निवासी शक्ति पुरा मुहल्ला महोबा थाना कोतवाली महोबा
- 2.कन्धीलाल कुशवाहा पुत्र परशुराम कुशवाहा उम्र करीब 30 वर्ष निवासी कस्बा थाईमुहाल थाना कोतवाली महोबा
- 3.पुष्पेन्द्र यादव पुत्र सुरेश यादव उम्र करीब 26 वर्ष निवासी शक्तिपुरा मुहाल महोबा थाना कोतवाली महोबा

4.पवन कुशवाहा पुत्र लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा उम्र करीब 21 वर्ष निवासी मुहल्ला बलदेव नगर चरखारी बाईपास महोबा थाना कोतवाली नगर महोबा

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस पुलिस टीम-

1. निरीक्षक नन्हेलाल यादव प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 रवि सिंह प्रभारी सर्विलांस/साइबर सेल
3. उ0नि0 बृजेन्द्र सिंह
4. हे0 का0 भूपेन्द्र सिंह साइबर सेल 5.का0 सत्यम सिंह जादौन साइबर सेल
6. का0 निर्भय सिंह 7.का0 आशीष बघेल 8. का0 रंजीत सिंह स्वॉट टीम

थाना श्रीनगर पुलिस टीम:-

1. प्रवीण कुमार, थानाध्यक्ष श्रीनगर
2. व0उ0नि0 कन्हैयालाल
3. हे0 का0 सूरज सिंह चौहान 4.का0 राजेश कुमार सिंह
5. का0 करमवीर सिंह 6.का0 विजय शंकर त्रिपाठी

महोबा पुलिस

## थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध गुटखा किया बरामद:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग व उनकी गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 09.09.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में श्री लाखन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ द्वारा गठित की गयी उ0नि0 दिनेश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपराध की रोकथाम हेतु सघन चेकिंग के दौरान मंगरौल मोड़ बहद ग्राम मंगरौलकला थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. पुष्पेन्द्र पाल पुत्र दशरथ पाल निवासी ग्राम धवर्गा थाना अजनर जनपद महोबा व हाल निवास बजरंग कालोनी कस्बा व थाना नौगांव जिला छतरपुर म0 प्र0 2. अखिलेश साहू पुत्र प्रकाश साहू निवासी ग्राम डिगरिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा 3. संदीप अग्रवाल पुत्र स्व0 हरगोविन्द अग्रवाल निवासी मु0 चौधरियाना कस्बा जैतपुर थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को हिरामत में लिया, अभियुक्तों के कब्जे से अदद छोटा हाथी लोडर **UP95 B 3175** टाटा ऐश जिसमें 16 झालो मे तम्बाकू मिश्रित सर्व प्रिय पुजारी सुप्रीम ब्राण्ड की 96 पन्नी व कुल 5760 पैकेट नाजायज (जिनकी बाजार में अनुमानित कीमत- 02 लाख, 87हजार, 8सौ रु) बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया। इस बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कुलपहाड़ में मु0अ0स0 266/2023 धारा 420/272/273 भादवि व 59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 पंजीकृत किया गया व वाहन छोटा हाथी लोडर **UP95 B 3175** टाटा ऐश उपरोक्त के विरुद्ध आनलाईन धारा 207 एमवी एक्ट में सीज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 दिनेश तिवारी (चौकी प्रभारी बेलाताल, थाना कुलपहाड़)
2. का0 विनय प्रताप सिंह
3. का0 कुलदीप सिंह यादव

## बरामदगी का विवरण:-

16 झाले जिसमें तम्बाकू मिश्रित सर्व प्रिय पुजारी सुप्रीम ब्राण्ड की 96 पन्नी व कुल 5760 पैकेट सम्भावित कीमत करीब 02 लाख, 87हजार, 8सौ रु. है।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।



आज दिनांक 09.09.2023 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के पर्यवेक्षण में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में सवेदनशील स्थानों पर पैदल गस्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि

जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए । यातायात नियमों के उल्लंघन पर ई-चालान किये गये ।





प्रेस विज्ञप्ति  
दिनांक - 09.09.2023

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस